

वेंचर कैपिटल फंड पिछड़े वर्गों के लिए



सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार

भारत में पिछड़े वर्गों को रियायती वित्त उपलब्ध कराकर उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया अपनी तरह का पहला वेंचर कैपिटल फंड।

पात्रता मानदंड

देश में पिछड़े वर्ग के उद्यमियों द्वारा प्रवर्तित भावी कंपनियों के लिए फंड के अधीन सहायता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं:

- विनिर्माण, सेवा एवं सम्बद्ध क्षेत्र में स्थापित की जा रही परियोजनाओं से निवेशित फंड से परिसंपत्ति निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा।
- योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार स्टार्ट-अप भी वित्त के लिए पात्र होंगे।
- पिछड़े वर्ग की महिला और दिव्यांग उद्यमियों को वरीयता दी जाएगी।
- न्यूनतम अस्तित्व और शेरधारित मानदंड:
 - यदि सहायता रु. 50 लाख से कम है – कंपनियां जिनकी कम से कम 51 प्रतिशत स्टैकहोल्डिंग पिछले 6 माह से प्रबंधन नियंत्रण के साथ पिछड़े वर्ग उद्यमियों के पास है अथवा कोई नई कंपनी, बशर्ते कि नई कंपनी प्रोप्राइटरी फर्म अथवा साझेदारी फर्म की उत्तराधिकारी कंपनी अथवा एक व्यक्ति कंपनी (ओपीसी) अथवा सीमित देयता साझेदारी (एलएलपी) अथवा किसी भी लागू कानून के तहत निगमित कोई अन्य स्थापना, सुदृढ़ व्यापारिक मॉडल के साथ है जो कि 6 माह से अधिक के लिए प्रचालन में बनी हुई है, और उत्तराधिकारी कंपनी में प्रबंधन नियंत्रण के साथ पिछड़े वर्ग प्रमोटर्स की कम से कम 51 प्रतिशत शेरधारिता है।
 - यदि सहायता रु. 50 लाख से अधिक है – कंपनियां जिनकी कम से कम 51 प्रतिशत स्टैकहोल्डिंग पिछले 12 माह से प्रबंधन नियंत्रण के साथ पिछड़े वर्ग उद्यमियों के पास है अथवा कोई नई कंपनी, बशर्ते कि नई कंपनी प्रोप्राइटरी फर्म अथवा साझेदारी फर्म की उत्तराधिकारी कंपनी अथवा एक व्यक्ति कंपनी (ओपीसी) अथवा सीमित देयता साझेदारी (एलएलपी) अथवा किसी भी लागू कानून के तहत निगमित कोई अन्य स्थापना, सुदृढ़ व्यापारिक मॉडल के साथ है जो कि 12 माह से अधिक के लिए प्रचालन में बनी हुई है, और उत्तराधिकारी कंपनी में प्रबंधन नियंत्रण के साथ पिछड़े वर्ग प्रमोटर्स की कम से कम 51 प्रतिशत शेरधारिता है।
- पिछड़े वर्ग से संबंधित होने का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

वित्त पोषण ढांचा:

क्र.सं.	विवरण	ब्यौरा
1.	निवेश का आकार	रु. 20 लाख से रु. 15 करोड़ तक सकल सहायता कंपनी के वर्तमान निवल मूल्य से दो गुना से अधिक नहीं है।
2.	वित्तीय सहायता की अवधि	डिबेंचर के मामले में अधिस्थगन अवधि सहित 10 वर्ष तक।
3.	मूलधन पर अधिस्थगन	डिबेंचर के मामले में, मामले के आधार पर लेकिन निवेश की तिथि से 36 माह से अधिक नहीं। निवेश समिति द्वारा निर्धारित नियमित अंतराल पर कंपनी में निवेश की तारीख से ब्याज भुगतान शुरू होगा।
4.	वित्तीय सहायता की प्रकृति	क. शेयर (सीसीपीएस) (कॉर्पस का अधिकतम 25 प्रतिशत) निम्नलिखित के अधीन निवेश किया जा सकता है: <ul style="list-style-type: none"> • इस तरह के निवेश पात्रता मानदंड के तहत उल्लिखित शर्तों को पूरा करने वाली नवीन प्रौद्योगिकी-उन्मुख परियोजनाओं/स्टार्ट-अप तक सीमित हो सकते हैं। • किसी कंपनी में अधिकतम इक्विटी निवेश 49 प्रतिशत हो सकता है, जो अधिकतम रु. 5 करोड़ के निवेश के अधीन है। • इस तरह के निवेश हर कंपनी में शेयरों के अंकित मूल्य पर लागू होंगे। • फंड के तहत हर निवेश में, न्यूनतम 25 प्रतिशत निवेश डिबेंचर के रूप में होगा। ख. अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (सीडीसी), वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी), गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) आदि। उन सभी कंपनियों के लिए उपकरणों पर विचार किया जाएगा जो ऊपर 'क' श्रेणी में नहीं आते हैं। ग. कुल वित्तीय सहायता में से अधिकतम 20 प्रतिशत तक सहायता अगले 10 वर्षों के लिए कंपनी द्वारा अपेक्षित कार्यशील पूंजी अंतर फंडिंग के लिए चिन्हित की जाएगी। ऐसी सहायता परिक्रमी प्रकृति की नहीं होगी। इस सहायता की मात्रा केंस-दर-केंस आधार पर परियोजना की आवश्यकता के अनुसार निवेश समिति द्वारा अनुमोदित की

		<p>जाएगी। ऐसी सहायता निम्नलिखित शर्तों के अधीन फंड के तहत वर्तमान लाभार्थियों के लिए भी विस्तारित की जा सकती है:</p> <ol style="list-style-type: none"> खाता स्टैंडर्ड होना चाहिए। लाभार्थी कंपनी ने कार्यशील पूंजी सहायता के लिए राष्ट्रीयकृत/निजी/कोऑपरेटिव बैंकों में आवेदन किया होना चाहिए और सहायता परियोजना नकदी प्रवाह अनुमानों के अनुसार अपेक्षित राशि से कम हो या ऐसे बैंक ने व्यवहार्यता को छोड़कर किसी अन्य वजह से सहायता देने से मना किया हो। <p>यह सहायता फंड के समग्र फंडिंग पैटर्न के भीतर होगी।</p>
5.	फंडिंग पैटर्न	<p>फंड के तहत निवेश को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:</p> <ul style="list-style-type: none"> ₹. 5 करोड़ तक वित्तीय सहायता – इस श्रेणी के तहत निवेश की परियोजना लागत का अधिकतम 75 प्रतिशत तक वित्त पोषित किया जाएगा और परियोजना लागत की शेष राशि का 25 प्रतिशत प्रवर्तकों द्वारा या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत सरकारी सब्सिडी/अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा। ऐसे मामले में जहां सब्सिडी उपलब्ध है, प्रवर्तकों को परियोजना लागत का कम से कम 15 प्रतिशत योगदान करना होगा। ₹. 5 करोड़ से अधिक वित्तीय सहायता – इस श्रेणी के तहत निवेश परियोजना लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तक किया जाएगा। परियोजना लागत का कम से कम 25 प्रतिशत केन्द्र या राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रवर्तकों द्वारा या सरकारी सब्सिडी/अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा, और परियोजना लागत के 25 प्रतिशत को या तो प्रवर्तकों द्वारा या बैंक या किसी अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त पोषित किया जा सकता है, के रूप में मामला हो सकता है। ऐसे मामले में जहां सब्सिडी उपलब्ध है, प्रवर्तकों को परियोजना लागत का कम से कम 15 प्रतिशत योगदान करना होगा।
6.	निवेश के माध्यम से अनुमानित प्रतिफल	<p>क. इक्विटी निवेश में बायबैक/रणनीतिक निवेश/आईपीओ के माध्यम से निकासी के समय पर वापसी 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष या जो भी अधिक हो, मूल्यांकन के अनुसार।</p> <p>ख. ऋण/परिवर्तनीय साधन – 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष (महिलाओं*/दिव्यांग** बीसी उद्यमी-7.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष)</p> <p>(*एक बीसी महिला/महिलाएं उद्यमी के स्वामित्व वाली कंपनी पर विचार करने के लिए बीसी महिला/महिलाएं उद्यमी को कंपनी में कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी का मालिक होना चाहिए और उसे कंपनी का प्रबंध निदेशक होना चाहिए।</p> <p>**दिव्यांग बीसी उद्यमियों के मामले में, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिव्यांगजनों के लिए योग्यता के रूप में जारी दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।</p>
7.	बाहरी तंत्र	<ul style="list-style-type: none"> प्रवर्तकों/कंपनियों, रणनीतिक निवेशों, स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टिंग या किसी भी अन्य बाहरी प्रक्रिया द्वारा परिचालन, बायबैक/मोचन से भुगतान के माध्यम से बाहर निकलें। बाहर निकलने की प्रक्रिया वित्तीय सहायता और कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर केस-दर-केस आधार पर निर्धारित की जाएगी। .
8.	सुरक्षा	<p>निवेश के दौरान निम्नलिखित परिकल्पित प्रतिभूतियां हो सकती हैं:</p> <ul style="list-style-type: none"> योजना के तहत वित्त पोषित/सहायता प्राप्त परियोजना की परिसंपत्तियों को सुरक्षा के लिए लिया जाएगा। परियोजना की संपत्ति में भूमि, भवन, संयंत्र एवं मशीनरी और लाइसेंस/पेटेंट अधिकार शामिल होंगे। बैंकों/बैंकों के साथ ऋण के लिए आवेदन करने के मामले में बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ परिसंपत्तियों पर समान रूप में अधिकार। निवेश से बाहर बनाई गई परिसंपत्तियों का दूसरा प्रभार जहां पहला प्रभार बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा सृजित। प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयरों का रेहन और कम से कम 26 प्रतिशत हिस्सेदारी बनाने और जारी किये गये एवं प्रदत्त पूंजी के 51 प्रतिशत तक ले जाया जाएगा। तथापि, गिरवी रखे गये शेयरों का प्रतिशत केस-दर-केस आधार पर तय किया जाएगा। परिसंपत्तियों के प्रभार के अलावा, पोस्ट डेटेड चेक (पीडीसी)/इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस (ईसीएस) और वचन पत्र लिया जाएगा।

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• बायबैक समझौते के साथ प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी ली जाएगी।• परियोजना भूमि के रूप में कोई बंधक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, उधारकर्ता संपार्श्विक प्रतिभूतियों की व्यवस्था कर सकता है। |
|--|--|



विस्तृत जानकारी के लिए कृपया सम्पर्क करें:

निवेश प्रबंधक

आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड

आईएफसीआई टॉवर, 16वां तल, 61, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110049

फोन: (+91)-(11)- 4173 2567/76/85/70/09/81/90/82/07, 011 - 26453346

वेबसाइट: www.vcfsc.in (वेंचर कैपिटल फंड पिछड़े वर्गों के लिए)

ई-मेल fundsbc@ifciventure.com

डिसक्लेमर: यह हैंडआउट केवल सूचना के प्रयोजन से तैयार किया गया है और यह निधि के अंतर्गत प्रस्तावों की संस्वीकृति और स्वीकार्यता का कोई भाग नहीं है। आईएफसीआई उद्यम इसमें निहित सूचना की पूर्णता अथवा सटीकता नहीं दर्शाता है। इस हैंडआउट में दी गई सूचना विश्वसनीय मानी गई है और इसे नेक नीयती से बिना किसी पक्षकार के प्रति विधिक बाध्यता के प्रस्तुत किया गया है। आईएफसीआई उद्यम इस नोट में दी गई सूचना के प्रयोग से उत्पन्न होने वाली किसी विधिक बाध्यता अथवा उत्तदायित्व के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। विचार, अनुमान और लक्ष्य के अधधीन है।